

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन
(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण)
अधिनियम, 2013
आन्तरिक समिति

क्र.	जिले का नाम	कार्यालय का नाम/पता	आन्तरिक समिति के गठन का दिनांक	समिति के सदस्यों की जानकारी	दुरभाषक	समिति के सदस्यों का नाम	मूल पद
1	2	3	4	5	6	7	8
2				पीठासीन अधिकारी— (पद में वरिष्ठ महिला कर्मचारी)			
3				कर्मचारी सदस्य			
4				कर्मचारी सदस्य			
5				गैर-सरकारी संगठन के सदस्य			

- कुल सदस्यों में से कम से कम आधी सदस्य महिलाएं होंगी अर्थात समिति में 1 पुरुष होना अनिवार्य है।
- उपरोक्त प्रारूप में जानकारी सभी संस्थाओं को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रेषित करनी अनिवार्य है।